सेवा में,

श्रीमान उपनिबन्धक महोदय
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स,
122 नौर्थ ईदगाह कॉलोनी
आगरा

विषय :- संचेतना समिति, 1, हरिदर्शन नगर, स्टेशन रोड, मैनपुरी (उ0प्र0) के पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र:-

महोदय,

निवेदन करना है कि **संचेतना समिति, 1, हरिदर्शन नगर, स्टेशन रोड, मैनपुरी (उ0प्र0)** के पंजीकरण हेतु नोटरी शपथ पत्र, स्मृति-पत्र, नियमावली दो प्रतियों में प्रार्थना पत्र, पंजीकरण शुल्क 1000/- रूपये के बैंक ड्राफ्ट के साथ भेज रहा हूँ।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि उक्त संस्था के पंजीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही का अवलोकन कर संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें।

आपकी अति कृपा होगी।

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
आगरा मण्डल आगरा

दिनांक :-

भवदीय,

महामंत्री
संचेतना समिति,
1, हरिदर्शन नगर, स्टेशन रोड, मैनपुरी
(उ0प्र0)

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम — [illegible] समिति ।
2. संस्था का पता — 1, हरिदर्शन नगर, स्टेशन रोड, मैनपुरी ।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण ~~[illegible]~~, उत्तर प्रदेश
4. संस्था के उद्देश्य — संस्था के निम्न उद्देश्य है —

1. प्राइमरी शिक्षा से स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के इण्टर कालेजों एवं महाविद्यालयों की स्थापना, [illegible], संचालन तथा विकास करना ।
2. शिक्षा स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मन के लिए जो खेल कूद, योग विज्ञान, [illegible] कला, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीतकला तथा अन्य ललित कलाओं का प्रचार प्रसार और इन्हें लोकप्रिय एवं व्यापक बनाने हेतु समस्त कार्य [illegible] सम्पन्न करना जिसमें इन कलाओं हेतु संस्थाओं की स्थापना, विकास संचालन, [illegible] सम्मिलित है ।
3. शिक्षा समाज के हित में [illegible] समाज में व्याप्त कुरीतियों [illegible] की समाप्ति हेतु प्रयास करना तथा इस हेतु कार्यरत [illegible] समाज सेवा समिति [illegible] मैनपुरी के [illegible] तथा आवश्यक [illegible] प्रदान करना । समतामूलक, वर्गविहीन, धर्म, जाति, भेद से मुक्त समाज की स्थापना करना । समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, साम्प्रदायिकता, अस्पृश्यता, भेद-भाव, मद्यपान, जुआ, मिलावट, [illegible] आदि के समूल उन्मूलन हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना ।
4. शिक्षा देश के हित में [illegible] — विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना, भारतीय होने के गर्व तथा भारतीय संस्कृति से परिचय देना जिससे भविष्य में भारत के नागरिक भारतीय होने पर गर्व की अनुभूति कर [illegible] ।
5. शिक्षा समाज के हित में समाज कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार के औषधालय, कार्यशालाएं, व्यायामशाला, [illegible], प्रतियोगिताएं आयोजित करना तथा इन हेतु आवश्यक संस्थाओं की स्थापना, [illegible] संचालन एवं विकास करना । निर्धन, असहाय, विकलांग एवं अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना एवं उनके [illegible] खान पान की निःशुल्क व्यवस्था करना ।
6. शिक्षा रोजगार के हित में [illegible] कृषि विज्ञान, तकनीकी विज्ञान, [illegible] से सम्बन्धित संस्थाओं की स्थापना, [illegible], संचालन एवं विकास करना ।
7. शिक्षा पर्यावरण के हित में [illegible] प्रदूषण से पर्यावरण को [illegible] जन जागरण के लिए [illegible] शिविरों, गोष्ठियों, [illegible] आदि का आयोजन तथा [illegible] आदि का आयोजन करना ।
8. जनता के [illegible] विकास हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, [illegible] केन्द्रों, व्यायामशाला आदि की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना ।
9. शिक्षा समाज के [illegible] विद्वानों एवं सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में [illegible] व्यक्तियों एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में [illegible] व्यक्तियों को सम्मानित कर [illegible] एवं उनके सुख–दुख में सहभागिता करना ।
10. निर्धन, असहाय, अनाथ एवं विकलांग बच्चों को निःशुल्क कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, [illegible], [illegible], कम्प्यूटर, टाइपिंग, ग्राम उद्योग आदि की निःशुल्क शिक्षा दिलाना तथा प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा [illegible] विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाकर एवं सहयोग कराकर उनकी आजीविका की व्यवस्था कराना एवं [illegible] दिलाकर सेवा [illegible] करना ।
11. महिलाओं, शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के लिए निःशुल्क रोजगारपरक शिक्षा दिलाना एवं सरकार के माध्यम से [illegible] उचित साधन उपलब्ध कराना ।
12. पर्यावरण संतुलन हेतु [illegible] वृक्षारोपण एवं वाटिकाओं को [illegible] एवं स्वच्छ बनाना ।
13. सभी वर्गों एवं जातियों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति दिलाना, निःशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था कराना एवं पढ़ाई में [illegible] सुविधा [illegible] ।

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के नाम,पता,पद,व्यवसाय दिये गये हैं जिन्हें कि संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है:-

क्र.सं. नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.श्री [illegible] सिंह	स्व.श्री कामता प्रसाद	1, हरिदर्शन नगर, स्टेशन रोड, मैनपुरी	अध्यक्ष	कृषक
2.श्री [illegible] सिंह यादव	स्व.श्री कामता प्रसाद	1, हरिदर्शन नगर,स्टेशन रोड, मैनपुरी	संस्थापक/ प्रबन्धक	नेता, समाजसेवी
3.श्रीमती [illegible] यादव	श्री [illegible] यादव	1, हरिदर्शन नगर,स्टेशन रोड, मैनपुरी	[illegible]/ सचिव	गृहणी
4.श्री [illegible] प्रताप सिंह	श्री [illegible] सिंह	[illegible], सिरसागंज रोड, मैनपुरी	उपाध्यक्ष	एडवोकेट/ व्यवसायी
5.श्री [illegible] सिंह यादव	स्व.श्री कामता प्रसाद	सैफई, इटावा	सदस्य	व्यवसायी
6.श्री [illegible] सिंह यादव	स्व.श्री कामता प्रसाद	सैफई, इटावा	सदस्य	व्यवसायी/ [illegible]
7.श्री [illegible] यादव	स्व.श्री कामता प्रसाद	[illegible], न्यू कॉलोनी, इटावा	सदस्य	व्यवसायी

हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता यह घोषित करते हैं कि इस [illegible] स्मृतिपत्र व संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन 1860 के अंतर्गत इस समिति का गठन किया गया है।

दिनांक –

नियमावली –

1. संस्था का नाम – संचेतना समिति
2. संस्था का पता – 1, हरिदर्शन नगर, स्टेशन रोड, मैनपुरी
3. संस्था का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण भारत । [illegible]
4. संस्था का उद्देश्य – पूर्व में उल्लिखित है ।
5. संस्था की सदस्यता तथा उसके वर्ग :–

जो व्यक्ति धर्म से ऊपर 18 वर्ष की आयु का हो, दिवालिया या पागल न हो तथा चरित्रवान हो और महापाप से दूर हो, एवं न्यायालय से अपराधी घोषित न हो ऐसे व्यक्ति को संस्था का सदस्य बनाया जायेगा ।

1. संस्थापक सदस्य :–

वर्तमान संस्थापक ही संस्था के आजीवन संचालक होंगे । संचालक संस्था के सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे । समस्त सदस्य एवं पदाधिकारियों के किसी विवाद में संचालक का निर्णय अन्तिम होगा। संस्था के प्रत्येक कार्य में परामर्श देना व आवश्यकता पड़ने पर अपना उत्तराधिकारी घोषित करना बनाना का अधिकार होगा । संस्था का कोई सदस्य संचालक के अनुमोदन उपरान्त ही बनाया जायेगा । संस्था में अधिकतम 14 सदस्य होंगे । संचालक को कभी भी किसी की सदस्यता समाप्त करने तथा किसी को सदस्य बनाने के अधिकार प्राप्त होंगे । संचालक का चुनाव कार्यकारिणी अपने बहुमत से करेगी ।

2. आजीवन सदस्य :–

जो व्यक्ति संस्था को एक बार में 50000/– रूपये या इससे अधिक देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा । आजीवन सदस्यों की अधिकतम संख्या 14 होगी ।

6. सदस्यता की समाप्ति :–

1. मृत्यु होने, पागल होने या दिवालिया होने पर ।
2. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
3. सदस्यता की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित होने पर ।
4. त्याग पत्र दिये जाने संचालक द्वारा उसे स्वीकार किये जाने पर ।
5. न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।
6. संस्था के अहित में कार्य करने पर ।

7. संस्था के अंग :–

1. साधारण सभा 2. कार्यकारिणी समिति

गठन :–

साधारण सभा का गठन संस्था के आजीवन सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा ।

बैठक :–

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी ।

सूचना अवधि :–

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सात दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व सदस्यों को दी जायेगी ।

गणपूर्ति :–

गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या की संख्या 2/3 बहुमत सदस्यों की उपस्थिति पर संस्था का वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष होगा । जिसकी तिथि महासचिव

विशेष वार्षिक अधिवेशन :-

संस्था का विशेष अधिवेशन प्रति वर्ष हुआ करेगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के बहुमत से तय की जायेगी। जिसकी सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व दी जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. प्रबन्ध समिति का चुनाव - नियम एवं विनियम सम्पन्न करवाना।
2. संस्था की वार्षिक आय व्यय बजट आदि वार्षिक कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार करना व उन्हें स्वीकृति करना।
3. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन एवं परिवर्तन करना।

6. प्रबन्धकारिणी समिति

गठन :-

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन आम सभा के 2/3 बहुमत से सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष एवं शेष कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगे। सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। जिसमें सदस्यों की संख्या कम से कम 7 तथा ज्यादा से ज्यादा 15 होगी।

बैठक :-

प्रबन्धकारिणी समिति की साधारण बैठक वर्ष में 3 तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार महामंत्री की सूचना पर सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जायेगी।

सूचना अवधि :-

प्रबन्धकारिणी समिति की साधारण बैठक की सूचना सदस्यों को 03 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 24 घण्टे पूर्व सूचना के किसी भी उचित माध्यम से दी जायेगी।

गणपूर्ति :-

गणपूर्ति के लिये 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा। कोरम के अभाव में स्थगित बैठक पुनः अगले दिन निर्धारित स्थान पर बुलाई जायेगी जिसमें कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी मीटिंग में जो भी निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा।

रिक्त स्थान की पूर्ति :-

प्रबन्धकारिणी समिति के कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो उस रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्ध समिति के 2/3 बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिये मनोनीत की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य:-

1. संस्था की उन्नति व विकास हेतु हर संभव प्रयास करना।
2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करवाना।
4. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य सरकारी/अर्धसरकारी विभागों, व्यक्तियों आदि से दान, अनुदान, चंदा एवं बैंक आदि से ऋण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
5. प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ एवं वैधानिक कार्यों की पूर्ति हेतु व्यय करना।

ख. कार्यकाल – प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा।